शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री महेन्द्र गोयल

दिनांक : 27.02.19

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 125

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने और रख रखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग) हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगाने व उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) सत्य है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि एमसीड़ी स्ट्रीट लाइट लगाने और उसके रख रखाव के लिए खर्च की भरपाई के लिए एमसीडी डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर लेता है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग) जी नहीं। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) सत्य है। ऊर्जा विभाग बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचीत किया है कि डी. एम.सी. ऐक्ट के अनुसार ई–टैक्स कम्पनी द्वारा एम.सी.डी. को दिया जा रहा है।
ग	क्या यह सत्य है कि 19 जनवरी 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा बुलाई गई मीटिंग यह निर्णय हुआ था कि स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव का काम एमसीडी द्वारा ही किया जाएगा;	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) अनाधिकृत कॉलोनी शाखा में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग) इस संदर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) सत्य है।
घ	वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट किसके माध्यम से व किस फंड से लगाई जा रही है	अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग) वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट से संबंधित कार्य स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाता है । जहां तक अनाधिकृत कॉलोनी शाखा की योजना का संबंध है आवष्यक सेवाओं से प्रावधान की योजना से किसी प्रकार की राशि स्ट्रीट लाईट के लिए नहीं दी गई है । उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग) दिल्ली सरकार के आदेश संख्या WPC 3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 एवं F.No. 1-33/UC/UD/Policy/ Part file/3030-3044 dated 27-10-2017 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाईट डी.एस.आई. आई.डी.सी या सिचाईं एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगाई जाएंगी। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) जानकारी नहीं है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल अमन विहार में शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान फन्ड से टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा लगाई जा रही है।

Nodal Officer (Admn.)
Urban Development Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secrt., New Delhi

		ऊर्जा विभाग बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचित किया है कि आवश्यकत फन्ड दिल्ली सरकार या सम्बन्धित लैन्ड ओवनिंग ऐजेंसी द्वारा दिए जाने पर समय–समय पर भिन्न–भिन्न योजनाओं में स्ट्रीट लाईट लगाई जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अमन विहार (अनाधिकृत कॉलोनी) में डार्क स्पोट पर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा 1.27 करोड़ रूपये (आर.आर.चार्जेज हटाने के बाद) टी.पी.डी.डी.एल. को दिए गए हैं एवं टी.पी.डी.डी.एल. स्ट्रीट लाईट लगा रही है।
ङ	क्या यह सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को एमसीडी चालू करने के लिए बिल भरने की सहमति नहीं देता;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)** 2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गए फण्ड से डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिल का भुगतान उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है जिसकी राशि दिल्ली सरकार से मांगी गई है। हालांकि 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेवारी डी.एस.आई. आई.डी.सी की है। **दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)** जानकारी नहीं है **ऊर्जा विभाग** बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचित किया है कि एम. सी.डी. द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में सितम्बर, 2016 के बाद लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के ऊर्जा शुल्क तथा रख रखाव शुल्क नहीं दिए जा रहे हैं। यद्यपि सितम्बर, 2016 से पहले लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के ऊर्जा शुल्क एम.सी.डी. द्वारा दिए जा रहे हैं। बिजली वितरण कम्पनी (बीवाईपीएल) ने सूचित किया है कि इडीएमसी अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के ऊर्जा शुल्क देने को तैयार है। बिजली वितरण कम्पनी (बीआरपीएल) ने सूचित किया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को एमसीडी चालू करने के लिए बिल भरने की सहमति नहीं देता है।
च	पिछले वित्त वर्ष में पूरी दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में लाइट लगाई गईं, पूर्ण ब्यौरा क्या है;	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** आदेश के अनुसार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट का कोई आदेश नहीं दिया गया है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)** पिछले वित्त वर्ष में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई भी स्ट्रीट लाईट नहीं लगाई है। 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेवारी डी.एस.आई.आई.डी.सी की है। **दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)** जानकारी नहीं है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल अमन विहार में शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान फन्ड से 460 नम्बर आज तक लाईट लगाई गई है। **ऊर्जा विभाग** थ्बजली वितरण कम्पनी (टीपीडीडीएल) ने सूचित किया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में इस वित्त वर्ष में 410 स्ट्रीट लाईट लगाई गई हैं।
छ	क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट विधायक फंड से लगा रही है;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)** जी नहीं। **दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)** जानकारी नहीं है।

Section Officer (Admn.)
Urban Development Deptt.
Govt. of N.C.T. of Delhi
... New Delhi

ज	यदि हाँ, तो पूर्ण प्रक्रिया क्या है बताई जाए;	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)</u> उपरोक्तानुसार। <u>दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)</u> जानकारी नहीं है।
झ	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)</u> अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है। <u>दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)</u> जानकारी नहीं है।
ञ	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या WPC 3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट डी एसआईआईडीसी या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगाई जाएंगी	<u>अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)</u> यह सत्य है कि सरकार अपने आदेश संख्या 16.09.2016 के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों से स्ट्रीट लाईट DSIIDC और I&FCद्वारा लगाई जाएगी। परंतु तदोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्ट्रीट लाईट का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जाएगा। <u>दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)</u> जानकारी नहीं है।
ट	यदि हाँ, तो इन विभागों को स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चालू वित्त वर्ष में आबंटित फण्ड का पूर्ण विवरण क्या है; और	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)</u> उपरोक्त 'छ' के अनुसार। <u>दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)</u> जानकारी नहीं है,
ठ	दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की विभाग की योजना का पूर्ण विवरण दें?	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)</u> उपरोक्त 'छ' के अनुसार। <u>दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)</u> जानकारी नहीं है, <u>अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)</u> यह सत्य है कि सरकार अपने आदेश संख्या 16.09.2016 के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों से स्ट्रीट लाईट DSIIDC और I&FCद्वारा लगाई जाएगी। परंतु तदोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्ट्रीट लाईट का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जाएगा।